



बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना

घोषणा पत्र

मैं.....पिता/ पति श्रीग्राम-.....
पंचायत-..... प्रखण्ड-.....जिला-.....
घोषणा करता/करती हूँ कि पूर्व में असिंचित क्षेत्र (खेत) जिसका खेसरा नं०-
खाता नं०मौजा- थाना नं०-हैं,
उस पर एक नलकूप प्रस्तावित था। उक्त प्रस्तावित नलकूप की मुझे अब आवश्यकता नहीं है एवं मेरे द्वारा
भविष्य में मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना अन्तर्गत नलकूप अनुदान के लिए आवेदन नहीं किया जायेगा।

किसान का हस्ताक्षर



बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना

घोषणा पत्र

मैं..... पिता/ पति श्रीग्राम
पंचायत-..... प्रखण्ड-जिला-.....
घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. मेरे द्वारा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अन्तर्गत स्वेच्छा से आवेदन किया जा रहा है तथा आवेदन पत्र में दिये गये विवरण/तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सही एवं सत्य हैं।
2. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में सन्दर्भित खेत के लिए कोई सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं है तथा पूर्व से कोई भी नलकूप अधिष्ठापित नहीं है।
3. यह कि मेरे द्वारा वर्तमान में नलकूप कार्य हेतु आवेदन किसी अन्य विभाग में नहीं दिया गया है तथा न ही अन्य विभाग/संस्था से इसके लिए कोई अनुदान/वित्तीय सहायता ली गई है।
4. यह कि यदि मुझे नलकूप अधिष्ठापित करने हेतु स्वीकृति मिलती है, तो मेरे द्वारा विभाग के स्तर से विनिर्धारित मानकों के अनुरूप तथा तय समयसीमा के अन्दर नलकूप अधिष्ठापन कार्य किया जायेगा।
5. मेरे द्वारा अधिष्ठापित नलकूप/मोटर पम्प का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जायेगा तथा इसकी देखभाल एवं सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी होगी।
6. यह कि आवेदित भूमि मेरी निजी भूमि है-
मौजा- खाता सं०-खेसरा सं०-
रकबा- जिसके लिए जमाबंदी मेरे नाम से है तथा उसकी लगान रसीद मेरे नाम से कटती है।
7. यह कि यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी/तथ्य गलत पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

किसान का हस्ताक्षर